w.kanpuruniversity.org
csjmu@kanpuruniversity.org, registrarcsjmuknp@gmail.com

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर–208024
Kalyanpur, Kanpur-208024

र्श संः सी.एस.जे.एम.वि.वि. / कुसका. / सम्ब. / 259 /2021 दिनांक : 24/08/2021

सम्बद्धता–आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा–37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुशंसा (दिनांकः 21.08.2021) एवं कार्यपरिषद की अनुमति की प्रत्याशा में **श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित** विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **सत्र 2021–22** हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती हैः–

1. संस्था/महाविद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित प्रतिनिरीक्षण मण्डल की आख्या एवं प्रपत्र–बी में इंगित समस्त कमियों (**यथा**–महाविद्यालय के प्रागंण व मुख्य द्वार पर महाविद्यालय का नाम कही भी अंकित नहीं है, महाविद्यालय में मौजूद व्यक्ति द्वारा बताये गये महाविद्यालय भवन के प्रवेश द्वार पर श्री ठाकुर जी महाराज फार्मेसी कॉलेज, सफीपुर, उन्नाव अंकित है, महाविद्यालय के समाने स्थित अन्य भवन पर श्री ठाकुर जी महाराज होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज, सफीपुर, उन्नाव अंकित है, आख्या में दर्शाये गये 15 शिक्षण कक्षों के विरूद्ध केवल 05 शिक्षण कक्ष मौजूद हैं जिसमें से 03 शिक्षण कक्षों में प्रकाश, विद्युत, पंखे व आसन की कोई व्यवस्था नहीं है, आख्या के अनुरूप दर्शाई गई 04 प्रयोगशालाओं के विरूद्ध कोई भी प्रयोगशाला मौजूद नहीं है एवं पुस्तकालय में मानक के अनुरूप पुस्तकें व अन्य सामग्री बहुत कम है, महाविद्यालय में एक सेमिनार रूम भी है एवं महाविद्यालय में अन्य आवश्यक व्यवस्थायें जैसे परीक्षा व मीटिंग कक्ष, कार्यालय, कम्प्यूटर कक्ष च छात्र, छात्राओं के लिये कॉमन रूम आदि नहीं है।) को **दिनांक 31 दिसम्बर, 2021 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेगा, अन्यथा आगामी सत्र से वर्णित पाठ्यक्रम/विषय की सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जायेगा।**
2. **सम्बन्धित कमियों के सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कोई निवारण न कर पाने एवं अद्यतन कमियाँ विद्यमान होने के दृष्टिगत सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 31.07.2021 एवं दिनांक 21.08.2021 के निर्णयानुसार महाविद्यालय पर रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये मात्र) अर्थदण्ड लगाया जाता है।**
3. **महाविद्यालय द्वारा इस सम्बद्धता आदेश की प्राप्ति के पश्चात् अर्थदण्ड रू0 25,000.00 (पच्चीस हजार रूपये मात्र) विश्वविद्यालय कोष में दिनांक 31.08.2021 तक अनिवार्य रूप से जमा कर दिया जाय, अन्यथा सत्र 2021–22 हेतु प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।**
4. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
5. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
8. महाविद्यालय समय–समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।

क्रमशः..........2

9. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या–421/सत्तर–1–2015–16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
10. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
11. रिट याचिका संख्या–61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–522/सत्तर–2–2013–2(650)/2012, दिनांकः 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप उपलब्ध कराया जायेगा।

(डा0 अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अवलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, **श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव** को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. प्रभारी, कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के कालेज लॉग–इन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
8. कुलसचिव कार्यालय।
9. सम्बन्धित पत्रावली।

(डा0 अनिल कुमार यादव)
कुलसचिव

www.kanpuruniversity.org
REGI.: 2570301 2570882

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्यानपुर, कानपुर
KALYANPUR, KANPUR

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब./2075/2016 दिनांक : 15/9/2016

सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत कार्य परिषद (बैठक दिनांकः 30.05.2016) की अनुमति से **श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांकः 01.07.2016 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित** शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के पूर्व निर्गत पत्र दिनांकः 30.05.2016 में इंगित कमियों यथा (बिन्दु-1) का निराकरण करा लिया जायेगा, अन्यथा आगामी सत्र में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकः 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांकः 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
7. **महाविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम हेतु अर्ह एवं अनुमोदित शिक्षकों की उपलब्धता/निरंतरता सुनिश्चित की जायेगी।**

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रबन्धक, श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, सफीपुर, उन्नाव को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। **आदेशानुसार महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०एससी० पाठ्यक्रम के विषयों में 02 सेक्शन बायोग्रुप (60 छात्र प्रति सेक्शन) तथा 02 सेक्शन मैथग्रुप (60 छात्र प्रति सेक्शन) कुल 240 सीट्स निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी जाती है।**
2. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव (परीक्षा) सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
5. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
6. इंचार्ज, ई०डी०पी०सेन्टर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर ।
7. नोडल अधिकारी, छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ।
8. सम्बन्धित पत्रावली।

(सय्यद वकार हुसैन)